राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– रतनकुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद संख्या 33 /2019

निर्णय दिनांक : 09.09.2019

रामकरण पुत्र दीपाराम उम्र 66 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कानूता तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

................वादी

बनाम

1. कुनाराम पुत्र दीपाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कानूता तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)
2. पन्नाराम पुत्र दीपाराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कानूता तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

............प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. मोहनलाल बिस्सु एडवोकेट, अधिवक्ता वादी
2. श्री ओमप्रकाश घोटिया एडवोकेट, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

—: निर्णय :—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता सं. 521 में अंकित ख0नं0 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू में स्थित है जिसमें वादी का 1706/4119 हिस्सा नियत है एवं खाता सं. 244 में अंकित खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू में स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा नियत है एवं खाता सं. 342 में अंकित खेत ख0नं0 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू में स्थित है, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा नियत है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 अलग–अलग रहते है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 का खान–पान लेन–देन सब अलग अलग है तथा वादगत खेतों को वादी के पिता स्व. दीपाराम के जीवन काल में ही लगभग 40 वर्ष पूर्व से वादगत भूमि को वादी व प्रतिवादीगण आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है। मुताबिक मौखिक बंटवारा के वादगत खेत ख0नं0 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता की भूमि वादी के हिस्से व पांति में आई हुई है। वादी द्वारा अपने हिस्से व पांति की भूमि के चारों ओर पुख्ता सींव कायम कर रखी है

मगर प्रतिवादीगण के साथ खातेदारी संयुक्त होने के कारण सरकारी लाभांश प्राप्त करने में वादी को परेशानी हो रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वो वादगत खेत का विधिवत रूप से विभाजन करवाकर अपने नाम से अलग से खातेदारी दर्ज करावें। जिसका वादी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार वादगत भूमि की खातेदारी अलग करवाने का निवेदन किया मगर प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। वादगत भूमि वादी के संयुक्त खातेदारी में होने के कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। अन्त में अनुतोष में वादी ने दावा डिक्री कर वादगत भूमि में से अपने हिस्से व पांति की भूमि पैरा सं. 2 में वर्णितानुसार अलग करने का निवेदन किया।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए तलब सम्मन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश घोटिया,

24/9/15
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

एडवोकेट उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकारराज ने प्रकरण में राज्य हित निहित नहीं होना जाहिर किया है।

वाद में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामे को तस्दीक किया गया है। पक्षकारान में राजीनामा हो जाने के कारण तनकियात इजाद नहीं की गई है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी व नक्शा ख0नं0 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता, एवं खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर एवं खेत ख0नं0 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता एवं जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 रोही ग्राम कानूता एवं जमाबन्दी 2056–2059 रोही ग्राम मगरासर प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामा में पक्षकारान ने उल्लेख किया है कि वादी, प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का आपस में मौखिक बंटवारा कर रखा है। मुताबिक मौखिक बंटवारा के खेत खसरा नं. 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता तहसील सुजानगढ़ की सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्से व पांति में आयी हुई है व खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर में से दक्षिणी ओर की 7.4858 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 कुनाराम के हिस्से व पांति में आयी हुई है व खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर में से उतरी ओर की 1.5174 हैक्टेयर भूमि व खसरा नं. 1338/51 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से व पांति में आयी हुई है। उक्तानुसार ही हम पक्षकारान अपने अपने हिस्से व पांति पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। हम पक्षकारान अपने अपने हिस्से व पांति की भूमि को काश्त करते आ रहे है व पुख्ता सीवें कायम कर रखी है। राजीनामा में वर्णितानुसार हिस्से व पांति की भूमि का खाता विभाजन कर हमारे नाम से अलग से खातेदारी अंकित कर लगान कायम करें व दावा डिक्री फरमावें।

वकील उभय पक्ष बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नंबर 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता, एवं खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर एवं खेत ख0नं0

22/9/19

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता के राजस्व रिकार्ड व वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामे का अवलोकन किया गया। उक्त वाद खाता विभाजन का है, खाता विभाजन के वाद में पक्षकारान द्वारा राजीनामा में अपने–अपने हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन करने का अंकन किया है। वाद में पैतृक संपति का दस्तावेज पेश करने व राजीनामा की स्थिति को देखते हुये राजीनामा के अनुसार वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। खेत खसरा नंबर 1338/81 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता, एवं खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर एवं खेत ख0नं0 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता का खाता विभाजन किया जाकर वादगत खेत खसरा नंबर 106 तादादी 6.5880 हैक्टेयर रोही कानूता अकेले वादी रामकरण के नाम अलग से दर्ज करें व वादगत खेत खसरा नंबर 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर में से दक्षिणी ओर की 7.4858 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 कुनाराम के नाम अलग से दर्ज करें एवं खेत खसरा नं. 112 तादादी 9.0032 हैक्टेयर रोही ग्राम मगरासर में से उतरी ओर की 1.5174 हैक्टेयर भूमि व खसरा नं. 1338/51 तादादी 2.6047 हैक्टेयर रोही ग्राम कानूता की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 2 पन्नाराम के नाम अलग से दर्ज करें व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड का विभाजन कर लगान कायम करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। स्टांप पेश होने पर तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ — मुद्रा)

9/9/19

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़